



अकेले यात्रा कर रहे अवयस्क

वहन के लिए अनुरोध

अवयस्क का पूरा नाम	आयु	लिंग	विशेष निर्देश
दिए गए नाम	परिवार अथवा उपनाम		यदि कोई है/भोजन
अवयस्क का स्थायी पता तथा टेलीफोन नं. केयर ऑफ			बोली जाने वाली भाषा

उड़ान विवरण :

उड़ान सं.	तिथि	से	के लिए
उड़ान सं.	तिथि	से	के लिए
उड़ान सं.	तिथि	से	के लिए

प्रस्थान के समय विदा करने वाला व्यक्ति

नाम
पता
टेलीफोन नं.

स्टॉपओवर प्वाइंट पर मिलने एवं विदा करने वाला व्यक्ति

नाम
पता
टेलीफोन नं.

आगमन पर मिलने वाला व्यक्ति

नाम
पता
टेलीफोन नं.

एयरलाइन की कस्टडी से अवयस्क को रिलीज़ करने हेतु हस्ताक्षर

.....

माता पिता/अभिभावक का घोषणा पत्र

हरा	TRSF	PT2	1. मैं पुष्टि करता हूँ कि उक्त अवयस्क यात्री के परिवहन के संबंध में उत्पन्न सभी दावे अथवा क्षति के लिए वाहक, उसके कर्मों तथा एजेंट, सभी प्रकार से यात्री के टिकट पर प्रिंट की हुई कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार उत्तरदायी व परिसीमित होंगे तथा वाहक, उसके कर्मों तथा एजेंट की कोई और अथवा अन्य देयता अथवा जिम्मेवारी नहीं होगी।
सफेद	TRSF	PT1	2. मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उक्त अवयस्क यात्री के साथ एयरपोर्ट पर प्रस्थान हेतु साथ जाने वाले तथा स्टॉपओवर पर मिलने वाले तथा आगमन पर मिलने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था ऊपर दिए गए नाम के अनुसार की है। ये व्यक्ति एयरपोर्ट पर उस समय तक रहेंगे जब तक उड़ान का प्रस्थान नहीं हो जाता है तथा/अथवा उड़ान के निर्धारित आगमन समय पर एयरपोर्ट पर उपलब्ध होंगे।
पीला	DEST	APT	3. स्टॉपओवर अथवा गंतव्य पर अवयस्क यात्री से मिलने के लिए किसी के न आने पर, मैं वाहक को प्राधिकृत करता हूँ कि वह अवयस्क यात्री की सुरक्षित कस्टडी सुनिश्चित करने के लिए अवयस्क यात्री को प्रस्थान के एयरपोर्ट पर वापस लाने सहित कोई भी आवश्यक कार्रवाई कर सकता है तथा वाहक को ऐसी कार्रवाई करने में आई लागत तथा व्यय की क्षतिपूर्ति तथा प्रतिपूर्ति के लिए सहमत हूँ।
नीला	DEP	APT	4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि अवयस्क यात्री के पास लागू नियमों के अनुसार सभी अपेक्षित यात्रा दस्तावेज़ (पासपोर्ट, वीज़ा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि) हैं।
गुनाबी	BKG	STN	5. मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मास्टर/मिस.....के पास कोई ड्यूटी देय सामान नहीं होगा। यदि भारत में कस्टम प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि कुछ सामान ड्यूटी देय हैं तथा तो ऐसे सामान को कस्टम प्राधिकारी डिटेनशन रसीद देकर रोक सकते हैं। स्थानीय माता पिता/अभिभावक द्वारा इन सामानों को कस्टम से क्लीयर कराने के लिए बाद में उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। (भारत में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले अवयस्क यात्रियों के लिए लागू)
			6. मैं वाहक, उसके कर्मियों तथा एजेंटों को, उक्त नाम के अवयस्क यात्री द्वारा व उसकी ओर से उनके विरुद्ध किए गए ऐसे सभी अथवा अन्य देयताओं तथा सभी दावों की हानि से बचा कर सुरक्षित रखने के लिए सहमत हूँ।
			7. मैं, अधोहस्ताक्षरी उक्त अवयस्क यात्री का माता पिता अथवा अभिभावक हूँ व उक्त नाम के अवयस्क यात्री के अकेले वहन के लिए सहमत हूँ तथा उसके वहन का अनुरोध करता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि दी गई सूचना सही है।

नाम, पता तथा टेलीफोन नं.

.....	हस्ताक्षर
.....	तिथि